न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :- 49/2020

बंशीधर पुत्र स्व. भूराराम जाति सैनी निवासी ग्राम श्याम मंदिर के पिछे कस्बा कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन पुत्र भगला जाति अहिर निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली कार्यालय
4. शिम्भू पुत्र भागला जाति अहिर निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा (फौत)
   4/1 मिश्री देवी पत्नी शिम्भू जाति अहिर निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा
5. रामकुवार पुत्र नाथूराम जाति अहिर
6. भैरूराम पुत्र बंशीधर जाति अहिर निवासी कुनेड तहसील पावटा
7. अजीत कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह जाति अहिर निवासी डेरोली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1994 आदेश दिनांक 19/11/2013 आराजी ख.नं. 1466/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा जिला जयपुर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक 18.8.2021

अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 1994 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली स्वीकार दिनांक 19/11/2013 बाबत आ.ख.नं. 1466/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा के विरूद्व जरिये अपील पेश की है। उक्त नामा. से व्यथित होकर अपील निम्नप्रकार प्रस्तुत की हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 1466/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला 1/3 हिस्से का रिकॉर्ड खातेदार था तथा अन्य रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार है।
2. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मोहन पुत्र भगला का आराजी ख.नं. 1466/0.45 में 1/3 हिस्सा था जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा नेशनल हाईवे संख्या 08 का विस्तार हेतु अधिग्रहण आदेश द्वारा सन् 2007 में उक्त खसरा नम्बर की 0.45 एयर भूमि से राष्ट्र्य राजमार्ग अधिग्रहण द्वारा 15.47 एयर भूमि अधिग्रहण कर ली थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला का हिस्सा 1/3 रकबा 0.45 है0 में कुल अधिग्रहण की गयी 15.47 एयर भूमि में मोहन का 1/3 हिस्सा 1547 में 1/3 रकबा 5.16 एयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हिस्से की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण करने के बाद उक्त ख.नं.

अति. जिला कलक्टर
कोटपतली (जयपुर)

1466/0.45 एयर में 29.53 एयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का शेष हिस्सा 1/3 में 29.93 में 9.84 एयर भूमि शेष रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हिस्से में रही ।

3. यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली द्वारा अधिग्रहण की गयी रेस्पोडेन्ट संख्या एक की हिस्से की भी 5.16 एयर का रेस्पोडेन्ट ने 403680/– रूपये दिनांक 05/7/2011 को जरिये बैक विभाग से प्राप्त कर लिये थे।

4. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गयी उसके हिस्से की भूमि का मुआवजा उठाने के बाद आराजी ख.नं. 1466/0.2953 एयर भूमि में से शेष उसके हिस्से में 9.84 एयर भूमि बची जिसको उसने जरिये विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 08/8/2012 को नामा.सं. 1560 के जरिये बनवा़नीलाल पुत्र बंशीराम स्वामी को बेचान कर दी।

5. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अपना सम्पूर्ण शेष हिस्सा बनवारी को बेचान कर दिया ओर बनवारी ने जरिये विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 20/12/2012 को नामा. 1717 द्वारा आराजी ख.नं. 1466/29.53 एयर में अपना 1/3 हिस्सा 9.84 एयर भूमि का बेचान अपीलान्ट बंशीधर पुत्र भूराराम को कर दिया जिसका रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

6. यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली द्वारा अधिग्रहण की गयी रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हिस्से की भूमि 5.16 एयर का नामा. राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के नाम खोला गया जो अपीलान्ट के खरीद करने व नामा. 1717 दिनांक 20/02/2012 रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद 19/11/2013 को नामा.सं. 1994 आराजी ख.नं. 1466/0.45 में मोहन पत्रु भगला रेस्पोडेन्ट संख्या एक का 1/3 हिस्से में से 5.16 एयर भूमि कम कर खोलना था । शेष बची कुल भूमि 29.53 एयर भूमि में अपीलान्ट के नाम 1/3 (9.84 एयर) भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज करना चाहिए था लेकिन नामा.सं. 1994 खोलते समय तहसीलदार ने आराजी ख.नं. 1466 में अपीलान्ट का हिस्सा 10/0.45 (9.84) में से 3.28 एयर भूमि कम करके व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम अपीलान्ट के हिस्से की 3.28 एयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज कर दी।

7. यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम जो नामा.सं. 1994 आराजी ख.नं. 1466 का खोला गया है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम हज्फ कर उसके हिस्से में से दर्ज रिकॉर्ड की भूमि 1/9 हिस्से को अपीलान्ट में हिस्सा 2/9 यानि 6.56 एयर में समायोजित कर उक्त ख.नं. 1466/29.53 में हिस्सा 3/9 यानि 9.84 एयर का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज करने व रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगना का नाम रिकॉर्ड में हज्फ करके दुरूस्ती आदेश तहसीलदार पावटा को दें।

8. यह है कि अपीलान्ट ने आदिनांक को रिकॉर्ड देखा तो इसकी जानकारी हुयी। अतः बिना देरी किये प्रार्थी अपीलान्ट ने उसी दिन 09/8/2020 को नकल नामा. की ली उसके बाद प्रार्थी अस्वस्थ्य हो गया ओर आज बिना देरी के यह अपील पेश की जा

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

रही है अलग से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश करके यह अपील बिना देरी के पेश की जा रही है। अतः अपील अन्दर मियाद पेश है।

9. यह है कि अपील में 4 लगायत 7 रिकॉर्डेड खातेदार होने पर पक्षकार बनाया है।

10. यह है कि अपील श्रीमान् के श्रवणाधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 1994 आदेश दिनांक 19/11/2013 आराजी ख.नं. 1466/0.45 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील पावटा को दुरूस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम हज्फ किया जाकर उसका हिस्सा अपीलान्ट के नाम जोडा जाने का आदेश प्रदान करें।

11. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से भी अशोक आर्य उपस्थित आये तथा 1, 4/1, 5, 6, 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 फौत होने पर उनके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश 21/01/2021 को जारी हुये। मृत्क के वारिसान् भी उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनकी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से श्री अशोक कुमार/अजय कुमार तानेनिया एडवाकेट द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

12. प्रकरण में तहसीलदार पावटा से रिपोर्ट ली गयी । तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि पूर्व में मोहन पुत्र भगला ख.नं. 1466 रकबा 0.45 है0 में हिस्सा 1/3 का खातेदार था। नामा.सं. 1994 के अनुसार ख.नं. 1466 रकबा 0.45 है0 में से 0.1547 है0 भूमि का अवाप्ति में अधिग्रहण हुआ था कुल रकबा में से 0.45 है0 में से 0.1547 है0 भूमि कम होने पर 0.2953 है0 भूमि शेष रहती है। नामा.सं. 1560 के द्वारा मोहन पुत्र भागला ने अपने हिस्से 1/3 की भूमि में से 10/45 (984/4500) का बेचान बनवारीलाल पुत्र बंशीराम को कर दिया था तथा नामा.सं. 1717 के द्वारा बनवारीलाल पुत्र बंशीराम द्वारा हिस्सा 984/4500 की भूमि का बेचान बंशीधर पुत्र भूराराम कौम माली को कर दिया। अवाप्तशुदा भूमि 0.1547 भूमि में मोहन पुत्र भगला का हिस्सा 1/3 के आधार पर 5.16 एयर भूमि अवाप्ति में गयी। शेष 9.84 एयर भूमि का बेचान कर दिया इस प्रकार मोहन पुत्र भगला का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। प्रस्तुत किया गया जवाब संलग्न पत्रावली है।

13. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि ग्राम प्रागपुरा में ख.नं. 1466 रकबा 0.45 हैक्टर स्थित है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार था तथा अन्य रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त खसरा नम्बर में

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

राष्ट्रीय राजमार्ग सन् 2007 में 15.47 एयर भूमि अधिग्रहण कर ली थी जिसमें मोहन पुत्र भगला की 1/3 हिस्से अनुसार 5.16 एयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 में अधिग्रहण हुयी तथा शेष 1/3 के अनुसार 9.84 एयर भूमि शेष बची। मोहन पुत्र भगला द्वारा अपना 1/3 हिस्सा की भूमि 5.16 एयर भूमि का मुआवजा उठा लिया तथा शेष बची भूमि 1/3 अनुसार 9.84 एयर भूमि जरिये विक्रय–पत्र से दिनांक 08/8/2012 को बनवारीलाल पुत्र बंशीराम को विक्रय कर दी गयी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला अहिर द्वारा अपनी हिस्से की 5.16 एयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में जाने के बाद 9.84 एयर भूमि शेष बची भूमि सम्पूर्ण हिस्सा 9.84 एयर भूमि बनवारीलाल पुत्र बंशीराम स्वामी को बेचान कर दिया। बनवारी पुत्र बंशीराम स्वामी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि अपना 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा 9.84 एयर भूमि अपीलान्ट बंशीधर पुत्र भूराराम सैनी को बेचान कर दिया जिसका नामा. 1717 दिनांक 20/02/2012 को खुलवा लिया गया था। अपीलान्ट के द्वारा खरीदशुदा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बाद नामा.सं. 1994 आराजी ख.नं. 1466/0.45 है0 में मोहन पुत्र भगला की राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की गयी भूमि 5.16 एयर भूमि कम कर खोलना था किन्तु उक्त नामा. खोलते समय उक्त आराजी ख.नं. 1466 में अपीलान्ट का हिस्सा 10/45 (9.84) एयर भूमि में से 3.28 भूमि कम करके रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम अपीलान्ट के हिस्से की 3.28 एयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के नाम नामा.सं. 1994 बाबत आ.ख.नं. 1466 का खोला गया है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम हज्फ कर उसके हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड की भूमि अपीलान्ट के हिस्से में समायोजित कर अपीलान्ट के हिस्से में 9.84 एयर भूमि रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला का नाम हज्फ करने के आदेश प्रदान करें।

14. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूत एवं तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि आराजी ख.नं. 1466 रकबा 0.45 है0 भूमि का 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला था । उक्त खसरा नम्बर 1466 वाके ग्राम प्रागपुरा में से 15.47 एयर भूमि नेशनल हाईवे संख्या 08 में अधिग्रहण होना पायी गयी। अधिग्रहण भूमि 15.47 एयर में 1/3 हिस्सा मोहन पुत्र भगला की 5.16 एयर भूमि अधिग्रहण हुयी है, जिसका मुआवजा भी जरिये चैक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की 5.16 एयर भूमि अधिग्रहण होने के अलावा 9.84 एयर भूमि शेष बचती है। शेष बची हुयी भूमि 9.84 एयर को रेस्पोडेन्ट संख्या एक मोहन पुत्र भगला द्वारा जरिये विक्रय–पत्र से बनवारीलाल पुत्र बंशीराम स्वामी को बेचान कर दी गयी। बनवारीलाल पुत्र बंशीराम

अति. जिला कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

स्वामी द्वारा जरिये विक्रय–पत्र से बंशीधर पुत्र भूराराम जाति सैनी को बेचान कर दी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार पावटा द्वारा नामा.सं. 1994 वाके ग्राम प्रागपुरा दिनांक 19/11/2013 को स्वीकार करते समय अपीलान्ट की भूमि 9.84 एयर में से 3.28 एयर भूमि कम कर उक्त नामा. स्वीकार कर दिया जबकि अवाप्तशुदा भूमि 15. 47 एयर भूमि में मोहन पुत्र भगला का हिस्सा 1/3 के अनुसार 5.16 भूमि अवाप्ति में गयी व शेष 9.84 एयर भूमि का बेचान कर दिया। इस प्रकार मोहन पुत्र भगना का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। इसके बावजूद भी उक्त नामा.सं. 1994 में मोहन पुत्र भगला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया। इसलिए उक्त नामा. में मोहन पुत्र भगला का नाम हज्फ कर उनके हिस्से की दर्ज भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । नामा. सं. 1994 बाबत आ.ख.नं. 1466/0.45 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील पावटा स्वीकार द्वारा तहसीलदार पावटा दिनांक 19/11/2013 में रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम हज्फ कर उसका हिस्सा अपीलान्ट के नाम जोडे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

16. निर्णय आज दिनांक 18.8.2021 ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)